



राजस्थान आवासन मण्डल

भविष्य के बाजार में बनें, आप भी भागीदार

गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी प्रताप नगर, सांगानेर में वाणिज्यिक भूखण्डों की

नीलामी स्थल
आवासन मण्डल
मुख्यालय जनपथ,
ज्योति नगर,
जयपुर

भव्य खुली नीलामी

खुली नीलामी
दिनांक 22.03.17
समय प्रातः 11.30
बजे

क्र. सं.	खण्ड	सैक्टर/ भूखण्ड संख्या	व्यावसायिक भूखण्ड का क्षेत्रफल	भूमि की आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर	अमानत राशि	न्यूनतम बोली मूल्य प्रति वर्गमीटर	प्रस्तावित नीलामी दिनांक
1	Div.V	Sector-08 80/A (Corner)	4860.00 वर्गमी० (व्यावसायिक)	59,575.00	रु. 50,00,000.00	रु. 69,000.00	22.03.2017
2	Div.V	Sector-08 Zone-86 Ajay Marg (Corner)	1134.00 वर्गमी० (पेट्रोल पम्प)	59,575.00	रु. 30,00,000.00	रु. 71,500.00	22.03.2017
3	Div.XII	115/C/1 (Corner)	2105.00 वर्गमी० (व्यावसायिक)	59,575.00	रु. 50,00,000.00	रु. 74,000.00	22.03.2017
4	Div.XII	232/C/F-1 (Corner)	4712.92 वर्गमी० (व्यावसायिक)	59,575.00	रु. 50,00,000.00	रु. 74,000.00	22.03.2017
5	Div.XII	232/C/F-2 (Corner)	4712.92 वर्गमी० (व्यावसायिक)	59,575.00	रु. 50,00,000.00	रु. 74,000.00	22.03.2017

नोट: 1. क्रम संख्या एक से पाँच पर अंकित भूखण्डों पर अधिकतम भूमि का आच्छादित क्षेत्रफल, ऊचाई, एफ.ए.आर., पार्किंग, सेटबैक इत्यादि वर्तमान में प्रचलित जे.डी.ए. विनियम के अनुसार देय होगी ऊचाई एयरपोर्ट ऑथोरिटी की अनुमति अनुसार व जे.डी.ए. विनियम के अनुसार जो भी कम हो मान्य होगी।

मुख्य विशेषताएं:— जोन-80, सैक्टर-8 में उपलब्ध भूखण्ड गुलाबी नगर जयपुर की प्रतिष्ठित कॉलोनी प्रताप नगर के मेन टॉक रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 पर, जोन-86, सैक्टर-08, अजय मार्ग, मेन टॉक रोड से लगभग 01 किलोमीटर पर, सैक्टर-11 दो किलोमीटर पर तथा सैक्टर-23 मेन टॉक रोड से लगभग 4 किमी. व महल रोड पर स्थित है। प्रताप नगर आवासीय योजना हवाई अड्डे से मात्र 3.00 किलोमीटर की दूरी पर तथा जयपुर शहर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर स्थित है।

नियम व शर्तें: 1. प्रत्येक नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीदाता को "राशि रूपये 10 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 30.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। राशि रूपये 10 करोड़ एवं अधिक मूल्य की सम्पत्ति हेतु न्यूनतम बोली मूल्य का 05 प्रतिशत अथवा 50.00 लाख जो भी कम हो, अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी" 2. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा कराई गई राशि को समायोजित करते हुये 72 घन्टे में सम्बन्धित आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के कार्यालय में जमा करानी होगी। सभी राशियाँ बैंकर्स चैक/डी.डी. के द्वारा जो राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम देय होगा जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अन्तिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। उच्चतम बोलीदाता द्वारा 72 घन्टे में 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के उपरान्त नीलामी स्वीकृति हेतु मुख्यालय प्रेषित की जावेगी। राजस्थान आवासन मण्डल मुख्यालय को बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकार/निरस्त करने का अधिकार होगा। 3. माँग पत्र में स्वीकृत बिड की शेष 90 प्रतिशत राशि के साथ मण्डल नियमानुसार अन्य देय राशियाँ लीजमनी, अन्य विविध चार्ज, सर्विस टैक्स आदि की माँग की जावेगी तथा उच्चतम बोली दाता को आवंटन पत्र की माँग राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। उच्चतम बोली दाता द्वारा माँग राशि उक्त अवधि में जमा नहीं कराने की स्थिति में यदि निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद 30 दिवस के भीतर मध्य प्रक्रिया शुल्क जमा करवाकर समयावृद्धि हेतु आवेदन किया जाता है तो बकाया माँग राशि पर निर्धारित अन्तिम तिथि से 30 दिवस का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज एवं यदि 30 दिवस पश्चात 31 से 60 दिवस के दौरान आवेदन करता है तो 60 दिवस का ब्याज 12 प्रतिशत वार्षिक दर से वसूल करते हुए सम्बन्धित उप आवासन आयुक्त द्वारा बोली को नियमित किया जा सकेगा। बकाया माँग राशि उक्त समयावधि में ही मण्डल खाते में जमा कराना अनिवार्य होगी। समयावृद्धि अवधि 60 दिवस पश्चात मण्डल द्वारा किसी प्रकार की राशि जमा किया जाना स्वीकार्य नहीं होगा और ना ही आवेदन स्वीकार किया जावेगा तथा नीलामी में प्राप्त उच्चतम बोली को उप आवासन आयुक्त द्वारा निरस्त कर दिया जावेगा। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने की अवस्था में अमानत राशि सहित सभी जमा राशियाँ जब्त करते हुए सम्बन्धित प्रस्ताव को निरस्त कर दिया जावेगा। 4. नीलामी से संबंधित समस्त राशि नकद रूप में प्राप्त न की जाकर पे-आर्डर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये प्राप्त की जावेगी। 5. खुली बोली न्यूनतम 1000/- रूपये के गुणक में स्वीकार होगी परन्तु यह शर्त मोहरबन्द निविदा पर लागू नहीं होगी। 6. नीलामी समिति का अधिकार होगा कि स्वच्छ व प्रतियोगी बोली प्राप्त नहीं होने पर वह किसी भी समय बोली कार्य को स्थगित/निरस्त कर सकेगी। खुली बोली में न्यूनतम

तीन बोलीदाता अवश्य होने चाहिये अन्यथा बोली स्थगित कर दी जावेगी। 7. फर्म द्वारा नीलामी : यदि किसी कम्पनी अथवा फर्म के नाम से बोली लगाई जाती है तो बोली प्रारम्भ होने से पूर्व ऐसी कम्पनी अथवा फर्म के रजिस्ट्रेशन संबंधी दस्तावेज एवं बोली लगाने वाले अधिकृत व्यक्ति के पक्ष में फर्म/कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 8. **लीज अवधि एवं लीज राशि** : भूखण्ड वार्षिक शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर विक्रय किया जावेगा। लीज की अवधि 99 वर्ष की होगी। इस अवधि के बाद मण्डल की सहमति से लीज अवधि 99 वर्ष के बाद बढ़ाई जा सकेगी। व्यावसायिक भूखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज कुल क्षेत्रफल की 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक भूखण्ड पर प्रथम पांच वर्ष तक वार्षिक लीज राशि आधी दर से देय होगी। आवंटन पत्र जारी होने के 30 दिवस में अथवा नया वर्ष शुरू होने से 30 दिवस में पूर्व में वार्षिक लीज राशि की सात गुना (पूर्व में जमा एक वर्ष की लीज के अतिरिक्त) राशि एक मुश्त लीज राशि के रूप में जमा करायी जा सकती है। 9. व्यावसायिक भूखण्ड "जहां है जैसा है" के आधार पर विक्रय किया जावेगा। भूखण्ड पर यदि किसी प्रकार की बिजली/पानी की लाईन/पोल इत्यादि लगा हुआ है तो उसकी जानकारी राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दी जायेगी। उसके हटाने का खर्चा स्वयं क्रेता वहन करेगा। इस बाबत कोई शर्त मण्डल को स्वीकार्य नहीं होगी। 10. **भूखण्ड का पंजीयन** :- विक्रय किये गये भूखण्ड की लीज डीड सम्बन्धित क्रेता द्वारा विक्रय राशि जमा कराने के पश्चात् क्रेता द्वारा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन व्यय वहन कर पंजीयन हेतु आवेदन करने पर उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता कार्यालय द्वारा संबंधित क्रेता के पक्ष में 30 दिवस में करवाना अनिवार्य होगी। 11. **भूखण्ड पर निर्माण** : - क्रय किये गये भूखण्ड लीज डीड जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा। तीन वर्ष की अवधि में निर्माण कार्य नहीं करवाने पर नियमानुसार शास्ति जमा कराने के पश्चात् आगामी दो वर्ष में निर्माण कार्य करवाना अनिवार्य होगा। अर्थात् यदि भूखण्ड क्रय करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूरा निर्माण नहीं किया जाता है तो भूखण्ड का आवंटन निरस्त माना जावेगा एवं राजस्थान आवासन मण्डल उस भूखण्ड को भार मुक्त मानते हुये कब्जा ले सकेगा एवं आवंटनी अथवा बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई राशि राजस्थान आवासन मण्डल के हक में जब्त की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इसके लिये किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा। निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही कराना होगा तथा शहरी निकाय के प्रचलित भवन निर्माण विधियों के मान दण्डों का ध्यान रखा जायेगा। निरस्तीकरण एवं भूखण्ड जब्ती की अपील राज्य सरकार के पास की जा सकेगी। राज्य सरकार के निर्णय की राजस्थान आवासन मण्डल पर बाध्यता होगी। 12. स्थानीय प्राधिकरण के बिल्डिंग बाईलॉज अपनाते हुए और सम्बंधित प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद ही निर्माण कार्य करवाना होगा। 13. नीलामी के बोलीदाता के साथ केवल एक व्यक्ति को प्रवेश दिया जावेगा। 14. अन्य शर्तें प्रपत्रानुसार एवं मण्डल नियमानुसार मान्य होंगी। 15. लीज राशि व एकमुश्त लीज राशि पर नियमानुसार सर्विस टैक्स देय होगा। 16. अधिक जानकारी के लिए सम्बंधित आवासीय अभियंता के कार्यालय में सम्पर्क करें।

सम्पर्क सूत्र

<p>उप आवासन आयुक्त वृत्त-प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल सैक्टर-05, टोंक रोड, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन: 0141-2791320, फैक्स 0141-2793429</p>	<p>आवासीय अभियंता, खण्ड-पंचम राजस्थान आवासन मण्डल सैक्टर 29, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन: 0141-2973848</p>	<p>आवासीय अभियंता, खण्ड-बारह राजस्थान आवासन मण्डल 110/ए/13, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर फोन: 0141-2790270</p>
--	--	---